



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276184
CG-DL-E-15092026-276184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4776]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4776]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4966(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH65 के हैदराबाद - विजयवाड़ा सेक्शन (जिसे चार से छः लेन का किया जा रहा है) के कि.मी. 154/650 से कि.मी. 191/200 तक के हिस्से में सड़क के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), रखरखाव, प्रबन्धन और संचालन के लिए नीचे अनुसूची में बताई गई जमीन की जरूरत है, एतद्वारा ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व संभागीय अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH65 के हैदराबाद - विजयवाड़ा सेक्शन (जिसे चार से छः लेन का किया जा रहा है) के कि.मी. 154/650 से कि.मी. 191/200 तक के हिस्से में सड़क के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: सूर्यपेट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोडेड					
गांव का नाम: कोडडा					
1	947	निजी	कमर्शियल ()	0.305 (हेक्टेयर)	0.305
2	948	निजी	कमर्शियल ()	0.212 (हेक्टेयर)	0.212
3	949	निजी	कमर्शियल ()	0.133 (हेक्टेयर)	0.133
4	953	निजी	कमर्शियल ()	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
गांव का नाम: द्वारकुन्टा					
5	239	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
6	240	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.146 (हेक्टेयर)	0.146
7	244	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
8	245	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.113 (हेक्टेयर)	0.113
9	246	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
गांव का नाम: चिमिरयला					
10	337	निजी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.147 (हेक्टेयर)	0.147
11	338	निजी	कमर्शियल ()	0.043 (हेक्टेयर)	0.043
12	398	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
13	399	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
14	400	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.127 (हेक्टेयर)	0.127
तालुक का नाम: मुनागला					
गांव का नाम: मधावरम					
15	136	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.032 (हेक्टेयर)	0.032

16	166	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
17	167	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.068 (हेक्टेयर)	0.068
18	170	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
19	171	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
20	185	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
21	186	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
22	188	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
23	190	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
24	198	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
25	199	सामान्य	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
26	206	सामान्य	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
गांव का नाम: मुनागला					
27	201	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
28	238	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
29	240	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
30	450	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
31	451	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
32	515	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
33	524	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
34	525	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
35	526	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
36	527	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
गांव का नाम: बरकथुडेम					
37	140	सामान्य	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.505 (हेक्टेयर)	0.505
38	141	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
गांव का नाम: अकूपमूला					
39	135	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.0485 (हेक्टेयर)	0.0485
40	137	सरकारी	ऐग्रिकल्चर ()	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
41	139	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
42	140	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.364 (हेक्टेयर)	0.364
43	141	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
44	142	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.048 (हेक्टेयर)	0.048

45	143	निजी	ऐग्रिकल्चर ()	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
46	164	सामान्य	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
47	166	सामान्य	नॉन ऐग्रिकल्चर ()	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
Total					4.3106

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A4]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4966(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 Km. 154/650 to Km. 191/200 for Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section (Revenue Divisional Office, Kodad, Telangana, 508206) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Office, Kodad, Telangana in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 154/650 to Km. 191/200 for Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section of National Highway No. 65 (Revenue Divisional Office, Kodad, Telangana, 508206) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: SURYAPET		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kodada					
Village: Kodad					
1	947	Private	Commercial ()	0.305 (Hectare)	0.305
2	948	Private	Commercial ()	0.212 (Hectare)	0.212
3	949	Private	Commercial ()	0.133 (Hectare)	0.133
4	953	Private	Commercial ()	0.1 (Hectare)	0.1

Village: Dwarakunta					
5	239	Private	Agriculture ()	0.082 (Hectare)	0.082
6	240	Private	Agriculture ()	0.146 (Hectare)	0.146
7	244	Private	Agriculture ()	0.072 (Hectare)	0.072
8	245	Private	Agriculture ()	0.113 (Hectare)	0.113
9	246	Private	Agriculture ()	0.044 (Hectare)	0.044
Village: Chimiryala					
10	337	Private	Non Agriculture ()	0.147 (Hectare)	0.147
11	338	Private	Commercial ()	0.043 (Hectare)	0.043
12	398	Private	Agriculture ()	0.028 (Hectare)	0.028
13	399	Private	Agriculture ()	0.053 (Hectare)	0.053
14	400	Private	Agriculture ()	0.127 (Hectare)	0.127
Taluk: Munagala					
Village: Madhavaram					
15	136	Private	Agriculture ()	0.032 (Hectare)	0.032
16	166	Private	Agriculture ()	0.008 (Hectare)	0.008
17	167	Government	Non Agriculture ()	0.068 (Hectare)	0.068
18	170	Private	Agriculture ()	0.121 (Hectare)	0.121
19	171	Government	Non Agriculture ()	0.004 (Hectare)	0.004
20	185	Government	Non Agriculture ()	0.016 (Hectare)	0.016
21	186	Private	Agriculture ()	0.097 (Hectare)	0.097
22	188	Government	Non Agriculture ()	0.081 (Hectare)	0.081
23	190	Private	Agriculture ()	0.097 (Hectare)	0.097
24	198	Private	Agriculture ()	0.048 (Hectare)	0.048
25	199	Common	Non Agriculture ()	0.097 (Hectare)	0.097
26	206	Common	Non Agriculture ()	0.121 (Hectare)	0.121
Village: Munagala					
27	201	Private	Agriculture ()	0.04 (Hectare)	0.04
28	238	Private	Agriculture ()	0.105 (Hectare)	0.105
29	240	Government	Non Agriculture ()	0.008 (Hectare)	0.008
30	450	Government	Non Agriculture ()	0.121 (Hectare)	0.121
31	451	Government	Non Agriculture ()	0.089 (Hectare)	0.089
32	515	Government	Non Agriculture ()	0.032 (Hectare)	0.032
33	524	Government	Non Agriculture ()	0.105 (Hectare)	0.105
34	525	Government	Non Agriculture ()	0.08 (Hectare)	0.08
35	526	Government	Non Agriculture ()	0.032 (Hectare)	0.032
36	527	Government	Non Agriculture ()	0.0121 (Hectare)	0.0121
Village: Barakathgudem					
37	140	Common	Non Agriculture ()	0.505 (Hectare)	0.505
38	141	Private	Agriculture ()	0.032 (Hectare)	0.032
Village: Akupamula					
39	135	Private	Agriculture ()	0.0485 (Hectare)	0.0485

40	137	Government	Agriculture ()	0.004 (Hectare)	0.004
41	139	Private	Agriculture ()	0.036 (Hectare)	0.036
42	140	Private	Agriculture ()	0.364 (Hectare)	0.364
43	141	Private	Agriculture ()	0.04 (Hectare)	0.04
44	142	Private	Agriculture ()	0.048 (Hectare)	0.048
45	143	Private	Agriculture ()	0.036 (Hectare)	0.036
46	164	Common	Non Agriculture ()	0.089 (Hectare)	0.089
47	166	Common	Non Agriculture ()	0.089 (Hectare)	0.089
Total					4.3106

[F. No. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A4]

SHAIKH AMINKHAN, Director